<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>01.08.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने 29/7/2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मोहाली और ज़ीरकपुर (पंजाब) में 4 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई विक्रमजीत सिंह और अन्य द्वारा बैंक ऑफ अमेरिका के अधिकारियों के रूप में खुद को पेश करके अमेरिकी नागरिक के साथ लगभग 11.54 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में की गई थी। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध–संकेती दस्तावेज़ और डिजिटल साक्ष्य ज़ब्त किए गए और विक्रमजीत सिंह एवं अन्य से जुड़े लगभग 50 लाख रुपये की राशि वाले कई बैंक खातों को ज़ब्त कर लिया गया। इसके अलावा, 1.5 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 3 अचल संपत्तियों का भी पता चला है।

ईडी ने फ्लोरिडा, अमेरिका निवासी सुश्री मेरले ली कोरेजवो के अधिकृत प्रतिनिधि निशांत मल्होत्रा की शिकायत पर विक्रमजीत सिंह और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की विभिन्न धाराओं के तहत हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि विक्रमजीत सिंह, अंचल मित्तल और अक्षय मित्तल ने अन्य लोगों के साथ मिलकर ज़ीरकपुर में एक धोखाधड़ी वाला कॉल सेंटर स्थापित किया था, जहाँ उन्होंने बैंक कर्मचारी बनकर विदेशी नागरिकों के कंप्यूटर का अवैध उपयोग किया और इस तरह 13,87,100.29 अमेरिकी डॉलर (लगभग 11.54 करोड़ रुपये) की धोखाधड़ी/ऑनलाइन डकैती की। ईडी की जाँच में यह भी पता चला है कि उपरोक्त अपराध से प्राप्त अपराध के आगमों (पीओसी) का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी की खरीद के लिए किया गया है, जिसे अवैध धन के स्रोत को छिपाने के लिए 100 से अधिक बैंक खातों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। स्रोत को छिपाने और उसे बेदाग दिखाने के लिए पीओसी का उपयोग करके कई अचल संपत्तियाँ भी खरीदी गई हैं।

आगे की जाँच जारी है।